भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 752

जिसका उत्तर 07 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

.....

जल की कमी

752. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार का जल गरीबी सूचकांक के अनुसार 11 मुख्य राज्यों में जल के माध्यम से गंभीर कमी के विभिन्न स्तरों को किस प्रकार दूर करने का विचार है;

(ख) जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत की रेटिंग 120 को देखते हुए जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उपलब्ध जल संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन नीतियों पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य के विशिष्ट जल की कमी के मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या नितियां अपनाई गई हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्यत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

देश में पानी की कमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, यह एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटकों अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) को शामिल किया जा रहा है। इस एचकेकेपी में चार उप-घटक हैं: (i) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु

सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास।

भारत सरकार, राज्य के साथ साझेदारी में, 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है।

अटल भूजल योजना, 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत सरकार की विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे चिन्हित जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लागू किया जा रहा है। यह योजना सात राज्यों अर्थात् हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है।

देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए और सतत भूजल प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण उपाय नीचे देखे जा सकते हैं:

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2023/02/2023021742.pdf

(ख): सीजीडब्ल्यूबी, देश भर में विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों और भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता आंकडे तैयार करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) के अंतर्गत भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड आयरन आदि जैसे विषाक्त पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के विभिन्न जैव-रासायनिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा निर्मित अन्वेषणात्मक कुएं, जो संदूषकों से मुक्त हैं, जल आपूर्ति के लिए राज्य एजेंसियों को सौंप दिए जाते हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय जल आयोग देश के विभिन्न राज्यों में सतही जल गुणवत्ता निगरानी उद्देश्य से विभिन्न जैव-रासायनिक पहलुओं के लिए 782 नदी स्थलों और 82 जल निकायों की निगरानी भी कर रहा है।

(ग) और (घ): प्रभावी जल प्रबंधन से निपटने के लिए विभिन्न नीतियां/दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की वकालत की गई है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसमे अन्य बातों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से नदी, जल निकायों और संबंधित बुनियादी ढांचे के संरक्षण की वकालत की गई है। इसके अलावा, जल निकायों और जल निकासी चैनलों के अतिक्रमण और अपवर्तन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जहां कहीं भी यह हुआ है, इसे व्यवहार्य सीमा तक बहाल किया जाना और उचित रूप से बनाए रखा जाना अपेक्षित है।

मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है ताकि वे इसके विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूमि जल विधान अधिनियमित कर सकें जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल विधान को अपनाया और कार्यान्वित किया है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा परिचालित मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल) 2016 में वर्षा जल संचयन के प्रावधान शामिल हैं और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है ताकि शहरी स्थानीय निकाय इसे अपनाएं और इस उप-कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भू-जल/वर्षा जल संचयन के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने/अपनाने के उपाय करने की सलाह दी है। सीजीडब्ल्यूए कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यवहार्य क्षेत्रों में जहां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विनियमन नहीं किया जा रहा है, उद्योगों, अवसंरचना इकाइयों और खनन परियोजनाओं को भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रदान करता है। अखिल भारतीय प्रयोज्यता के साथ भूजल निष्कर्षण के नियंत्रण और विनियमन के लिए नवीनतम दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर 2020 को अधिसूचित किए गए थे।

*****